रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

16 JUL 1982

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 1982/ज्येष्ठ 11, 1904

No. 169] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 1982/JYAISTHA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1982

सा०का०नि० 442(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21) की धारा 3 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) नियम, 1955 में,—

(क) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:—

"6. रोग आदि की चिकित्सा के लिए औषधियों के विज्ञापन का प्रतिषेध कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा जो किसी औषधि के प्रति ऐसे शब्दों में निर्देश करता है जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग, विकार या दशा के निदान, रोगमुक्ति, उसमें कमी करने उसकी चिकित्सा या निवारण करने के लिए उस औषधि के उपयोग का सुझाव देते हैं या उपयोग की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रकल्पित हैं।";

(ख) निम्नलिखित अनुसूची अंत में जोड़ी जाएगी, अर्थात :—

अनुसूची

(नियम 6 देखें)

दमा"

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं० का०नि०आ० 512 तारीख 26 फरवरी, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए।

1. अधिसूचना सं० का०आ० 826 तारीख 10 अप्रैल, 1961
2. अधिसूचना सं० का०आ० 348 तारीख 20 जनवरी, 1962 और
3. अधिसूचना सं० का०आ० 1688 तारीख 22 मई, 1962

[फा० सं० [illegible]-डी०एम०एस० एण्ड पी०एफ०ए०]

सी० [illegible] मणी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1982

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with clause (d) of Section 3 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (21 of 1954), the Central Government after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Rules, 1955, —

(a) for rule 6, the following rule shall be substituted namely :—

"6. Prohibition of advertisement of drugs for treatment of disease, etc.—No person shall also take part in the publication of any advertisement referring to any drug in terms which suggest or are calculated to lead to the use of that drug for the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease, disorder or condition specified in the Schedule annexed to these rules."

(b) The following Schedule shall be added at the end namely :—

"The Schedule

(See rule 6)

Asthma"

Note :—The principal rules were published with notification No. S.R.O. 512 dated the 26th February, 1955 and subsequently amended by :

1. Notification with No. S.O. 826 dated the 10th April, 1961.

2. Notification with No. S.O. 348 dated the 20th January, 1962, and

3. Notification with No. S.O. 1688 dated the 22nd May, 1962.

[F. N. X-11024/1/81-DMS&PFA]

C. V. S. MANI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982